

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))


क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(V) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. बुंदेली, वि.खं. कोरबा से शा.प्रा.शा. छिंदकोना, वि.खं. कोरबा किया गया है। श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एल.बी. ने अपने बच्चे के मानसिक रोगी होने एवं अन्य पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारण से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एल.बी. द्वारा अपने बच्चे के मानसिक रोगी होने एवं अन्य पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारण से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा बच्चे के स्वास्थ्यगत कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है। श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।


(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/ 269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री छत्रपाल साहू सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. बुंदेली, वि.खं. कोरबा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022 / 268(2) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022


// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा शमीम खान सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. मोहलाईनभांठा, वि.खं. कटघोरा से शा.प्रा.शा. करमटिया, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा किया गया है। शमीम खान सहायक शिक्षक एल.बी. ने स्वयं के उर्दु शिक्षक होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया शमीम खान सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।


(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ शमीम खान सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. मोहलाईनभांठा, वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(3) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री कृष्णकुमार सोनी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. फूलझर, वि.खं. करतला जिला कोरबा से शा.प्रा.शा. चैनपुर, वि.खं. करतला जिला कोरबा किया गया श्री कृष्णकुमार सोनी सहायक शिक्षक एल.बी. ने पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया श्री कृष्णकुमार सोनी सहायक शिक्षक एल.बी. द्वारा अपने बुजुर्ग पिता के स्वास्थ्य हमेशा खराब होने एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा पिता के स्वास्थ्यगत कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री कृष्णकुमार सोनी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री कृष्णकुमार सोनी सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. फूलझर, वि.खं. करतला जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(4) अटल नगर, दिनांक 02/11/2022


// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 जिसमें अभ्यावेदक श्री शत्रुहन सिंह चौहान सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. गांगपुर, वि.खं. पाली से शा.प्रा.शा. तलाबपारा, वि.खं. पाली किया गया है। श्री शत्रुहन सिंह चौहान सहायक शिक्षक एल.बी. द्वारा स्वयं के दिव्यांग होने एवं आने जाने में परेशानी होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

प्रकरण के परीक्षण अनुसार श्री शत्रुहन सिंह चौहान सहायक शिक्षक एल.बी. दिव्यांग हैं अतः संबंधित का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति 2022 के अनुरूप नहीं होने के कारण अभ्यावेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।


(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री शत्रुहन सिंह चौहान सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. गांगपुर, वि.खं. पाली जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))


क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(5) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री विनोद कुमार धारी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. जूनाडीह, वि.खं. कटघोरा से शा.प्रा.शा. छिंदिया, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। श्री विनोद कुमार धारी सहायक शिक्षक एल.बी. ने पारिवारिक कारणों से एवं स्वयं के आदिवासी बालक छात्रावास दीपका वि.खं. कटघोरा में संलग्न होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा पारिवारिक कारणों से एवं स्वयं के आदिवासी बालक छात्रावास दीपका वि.खं. कटघोरा में संलग्न होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।


श्री विनोद कुमार धारी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री विनोद कुमार धारी सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. जूनाडीह, वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))


क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(6) अटल नगर, दिनांक 02/11/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री ओमप्रकाश गोस्वामी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. डोंगातराई, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. रानीगढ़ी, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। श्री ओमप्रकाश गोस्वामी सहायक शिक्षक एल.बी. ने पारिवारिक कारणों से एवं स्वयं के आदिवासी बालक छात्रावास दीपका वि.खं. कटघोरा में संलग्न होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा अपने कार्य को उत्तम एवं उत्कृष्ट होने तीनों पदस्थ शिक्षकों में वरिष्ठ होने तथा पिता की अस्वस्थता के कारण स्थानांतरण संशोधन करने हेतु लिखा है, जो कि जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।


श्री ओमप्रकाश गोस्वामी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री ओमप्रकाश गोस्वामी सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. डोंगातराई, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(7) अटल नगर, दिनांक 02/11/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री फेकूराम कौशिक सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. रामपुर, तानाखार वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. केरईहापारा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा किया गया है। संबंधित ने दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष नहीं होने, कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने एवं स्वयं का शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट होने के कारण स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष नहीं होने, कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने एवं स्वयं का शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट होने के कारण स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री फेकूराम कौशिक सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री फेकूराम कौशिक सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. रामपुर, तानाखार वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268/18 अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री जयवर्धन दास महंत सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. जोंधरीबारी, वि.खं. कटघोरा से शा.प्रा.शा. मांझाबहरा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा किया गया है। संबंधित ने स्वयं का शैक्षणिक कार्य अच्छा होने, संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी, पुत्री के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने एवं विकासखण्ड से अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने एवं अन्य पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा स्वयं का शैक्षणिक कार्य अच्छा होने, संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी, पुत्री के स्वास्थ्य ठीक नहीं होने एवं विकासखण्ड से अन्यत्र स्थानांतरण किये जाने एवं अन्य पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री जयवर्धन दास महंत सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री जयवर्धन दास महंत सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. जोंधरीबारी, वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/263(9) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्रीमती परमेश्वरी सिंह सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. पुटुवा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. बासिन, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा किया गया है। संबंधित ने स्वयं का शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट होने, कोई शिकायत नहीं होने, दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष नहीं होने के कारण एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया स्वयं का शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट होने, कोई शिकायत नहीं होने, दर्ज संख्या के आधार पर अतिशेष नहीं होने के कारण एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखे हैं, जो कि जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती परमेश्वरी सिंह सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/265
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्रीमती परमेश्वरी सिंह सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. पुटुवा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

9

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या. 127/2022 268(10) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री अशोक कुमार बंजारे सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. बुंदेली, वि.खं. कोरबा से शा.प्रा.शा. गौरबोरा, वि.खं. कोरबा किया गया है। संबंधित ने शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट होने, कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया शैक्षणिक कार्य उत्कृष्ट होने, कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है, तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री अशोक कुमार बंजारे सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री अशोक कुमार बंजारे सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. बुंदेली, वि.खं. कोरबा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या./27/2022/268(11) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार अर्मा सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. केन्हाडांड, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. आमापाली, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा किया गया है। संबंधित ने पारिवारिक कारणों से एवं गृह ग्राम से 15 किमी दूर होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा पारिवारिक कारणों से एवं स्थानांतरित संस्था गृह ग्राम से 15 किमी दूर होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है, तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार अर्मा सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 04/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री नरेन्द्र कुमार अर्मा सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. केन्हाडांड, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

11



लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022 268(12) अटल नगर, दिनांक 02 / 12 / 2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री महेत्तर लाल पटेल प्रधान पाठक का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. सुतरा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. लोड़ीबहरा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा किया गया है। संबंधित ने स्वयं के दिव्यांग होने एवं दूरी होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। संबंधित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6309/2022 दायर किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2022 को आदेश पारित किया गया है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा स्वयं के दिव्यांग होने एवं दूरी होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। संबंधित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6309/2022 दायर किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2022 को आदेश पारित किया गया है।

श्री महेत्तर लाल पटेल प्रधान पाठक का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-1 की उपकण्डिका 1.6 के तहत स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं होने के कारण अभ्यावेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/265
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री महेत्तर लाल पटेल प्रधान पाठक शा.प्रा.शा. सुतरा, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(13) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री लालमन सिंह कंवर सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. सिरकीकला वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. बरभांठा साखो, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा किया गया है। प्राप्त पत्र में माननीय विधायक कटघोरा द्वारा संस्था में पदस्थ प्र.पा. के 2023 में से.नि. होने से शिक्षक की कमी हो जाने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

प्राप्त पत्र में माननीय विधायक कटघोरा द्वारा संस्था में पदस्थ प्र.पा. के 2023 में से.नि. होने से शिक्षक की कमी हो जाने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखे हैं, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री लालमन सिंह कंवर सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)



उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269

प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्री लालमन सिंह कंवर सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. सिरकीकला वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. / 127 / 2022 / 268(14) अटल नगर, दिनांक 02 / 12 / 2022
// आदेश //


कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा ज्योति जायसवाल सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. भठोरा वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा से शा.प्रा.शा. कटकीडबरी, वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा उनके स्थानांतरण से संस्था एकल शिक्षकीय हो रही है तथा उनके 01 वर्ष के बच्चे के देखभाल करने एवं दूरी के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखे है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा लेख किया गया है कि उनके स्थानांतरण से संस्था एकल शिक्षकीय हो रही है तथा उनके 01 वर्ष के बच्चे के देखभाल करने एवं दूरी के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखे है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

ज्योति जायसवाल सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।


(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02 / 12 / 2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/ 269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ ज्योति जायसवाल सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. भठोरा वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

(14)

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(15) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री योगेश पैकरा सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. अरसियां वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा से शा.प्रा.शा. धवलपुर, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा पिताजी की अस्वस्थता एवं स्थानांतरण 150-200 किमी दूर किये जाने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा अपने पिताजी की अस्वस्थता एवं स्थानांतरण 150-200 किमी दूर किये जाने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री योगेश पैकरा सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 2/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री योगेश पैकरा सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. अरसियां वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))


क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. / 127 / 2022 / 268 (16) अटल नगर, दिनांक 02 / 11 / 2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्रीमती दुर्गेश दिवान सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. बरौदखार वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा से शा.प्रा.शा. दुनियाकछार, वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया गया है कि वो महिला कर्मचारी है, स्थानांतरित संस्था में नदी पार कर जाना पड़ता है। संस्था की दर्ज संख्या 74 है सेटअप अनुसार 01-02 के अनुपातिक है। यह कि प्रा.शा. बरौदखार में 01 प्र.पाठक एवं 2 स.शिक्षक एलबी है। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। संबंधित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.एस. 6343 / 2022 दायर किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2022 को आदेश पारित किया गया है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।


संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन उल्लेखित बिन्दु स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है। श्रीमती दुर्गेश दिवान सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति
अटल नगर, दिनांक 02 / 11 / 2022

पृ.क्र. / स्था.3 / न्या.प्र. / 127 / 2022 / 269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्रीमती दुर्गेश दिवान सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. बरौदखार वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(12) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्रीमती प्रतिमा सिंह का स्थानांतरण शा.प्रा.शा.कन्या आश्रम पाली, वि.खं. पाली से शा.प्रा.शा. चोकपारा, वि.खं. पाली किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया है कि वे संतान पालन अवकाश में है एवं स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है जबकि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थापना हेतु आवेदन दिया गया है, क्योंकि इनके पति गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में आरक्षक के पद पर पदस्थ है, लेख कर स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया है उनके द्वारा लेख किया गया है कि वे वर्तमान में संतान पालन अवकाश में है एवं स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है जबकि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पदस्थापना हेतु आवेदन दिया गया है, क्योंकि इनके पति गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। संबंधित का स्थानांतरण बिना आवेदन प्रस्तुत किये स्वयं के व्यय पर किया गया है। अतः स्वयं के व्यय के स्थान पर प्रशासनिक स्थानांतरण अंकित किये जाने की अनुशंसा कि जाती है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री योगेश पैकरा सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. अरसियां वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. / 127 / 2022 / 268(18) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री हनुमान सिंह राजपूत का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. बांधापारा, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा से शा.प्रा. शा. सेन्हा, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया गया है कि कार्यरत संस्था में 81 बच्चे हैं जो सेटअप के अनुसार 01-02 के अनुपात में हैं और संबंधित का नाम अतिशेष शिक्षक में नहीं है एवं उनके स्थान पर अन्य शिक्षक का पदस्थापना भी नहीं किया गया है जिसके कारण संबंधित का स्थानांतरण अन्यत्र करने से छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक हो गया है जो अनुचित है उक्त कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया श्री हनुमान सिंह राजपूत सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र. / स्था.3 / न्या.प्र. / 127 / 2022 / 269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री हनुमान सिंह राजपूत शा.प्रा.शा. बांधापारा, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(1A) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री पंचराम कैवर्त का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. कूटेशर नगोई, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. दमहामुड़ा, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया गया है स्थानांतरण नियम 2022, कंडिका 3.3 अनुसार ऐसे स्थानांतरण नहीं किये जाएंगे जिनके फलस्वरूप किसी स्कूल में छात्र- शिक्षक अनुपात 40 से अधिक हो जाए। कार्यरत संस्था में 85 बच्चे हैं एवं कार्यरत सहायक शिक्षक 03 हैं जो सेटअप के अनुसार सही हैं और संबंधित का नाम अतिशेष शिक्षक में नहीं है अतः संबंधित का स्थानांतरण अन्यत्र करना अनुचित एवं नियम विरुद्ध है। उक्त कारणों से स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया श्री पंचराम कैवर्त सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति
अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री पंचराम कैवर्त शा.प्रा.शा. कूटेशर नगोई, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक/स्था.3/स्थानां.अभ्या. 127/2022/268 (20) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री केशव कुमार सिंह सहा.शिक्षक एलबी का स्थानांतरण शा.प्रा.शा.क. आश्रम बिंझरा वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा कोरबा से शा.प्रा.शा. बुढ़ापारा, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया गया है पति-पत्नि आधार पर एक ही संस्था शा.प्रा.शा.क. आश्रम बिंझरा वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा कोरबा में पदस्थ थे। उनका स्थानांतरण 80 किमी दूर किये जाने के कारण स्थानांतरण संशोधन करने का निवेदन किया है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा पति-पत्नि आधार पर एक ही संस्था में पदस्थ थे। उनका स्थानांतरण 80 किमी दूर किये जाने के कारण स्थानांतरण संशोधन करने का निवेदन किया है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है, तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्री केशव कुमार सिंह सहा.शिक्षक एलबी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है। (समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री केशव कुमार सिंह सहा.शिक्षक एलबी शा.प्रा.शा.क. आश्रम बिंझरा वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. / 12/2022 / 268(21) अटल नगर, दिनांक 02/11/2022
// आदेश //


कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री अशोक कुमार कंवर सहा.शिक्षक एलबी का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. कुरुडीह वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा कोरबा से शा.प्रा.शा. पत्थरफोड़, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा जिला कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया गया है श्री राजराज सिंह के स्थानांतरण हेतु उनका स्थानांतरण लगभग 130 किमी दूर किया गया है जो कि न्यायसंगत नहीं है तथा स्वयं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण हेतु असक्षम होने का लेख किया है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया उनके द्वारा श्री राजराज सिंह के स्थानांतरण हेतु उनका स्थानांतरण लगभग 130 किमी दूर किये जाने एवं स्वयं के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण हेतु असक्षम होने का लेख किया है, जो की स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है। तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।


श्री अशोक कुमार कंवर सहा.शिक्षक एलबी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः प्राप्त अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति
अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र. / स्था.3 / न्या.प्र. / 12/2022 / 269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री केशव कुमार सिंह सहा.शिक्षक एलबी शा.प्रा.शा.क. आश्रम बिंझरा वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. / 12/2022 / 268(22) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री संजय कुमार कंवर सहायक शिक्षक का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. मनोहरा, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा से शा.प्रा.शा. बांझीवन, वि.खं. पोड़ी-उपरोड़ा किया गया है। संबंधित द्वारा लेख किया गया है स्थानांतरित संस्था में सहायक शिक्षक का पद रिक्त नहीं है और यदि संबंधित स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करता है तो वो अतिशेष शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 विषयक परिपत्र क्र. एफ 1-2/2022/1/16 दिनांक 12.08.2022 अनुसार छात्र- शिक्षक अनुपात 20 से कम नहीं होना चाहिए और यदि संबंधित स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 के विपरीत होगा, लेख करते हुये स्थानांतरण निरस्त करने लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया श्री संजय कुमार कंवर सहायक शिक्षक द्वारा स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा अपना अभ्यावेदन वापस लिया गया है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र./12/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्रीमती दुर्गेश दिवान सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. बरौदखार वि.खं. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(23) अटल नगर, दिनांक 02/12/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्री केदारनाथ कैवर्त सहा.शिक्षक एलबी का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. रामभांठा लबेद वि.खं. करतला जिला कोरबा से शा.प्रा.शा. धिनारा, वि.खं. करतला जिला कोरबा किया गया है। समस्त ग्रामवासी एवं पालकगण ग्राम पंचायत लबेद द्वारा लेख किया है कि श्री केदारनाथ कैवर्त शाला में एकल शिक्षक के रूप में कार्य करते हुये शाला का नियमित रूप से संचालन कर रहे हैं। अतः स्थानांतरण निरस्त करने का निवेदन किया है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

प्राप्त पत्र पर विचार किया गया जिसके अनुसार श्री केदारनाथ कैवर्त शाला में एकल शिक्षक के रूप में कार्य करते हुये शाला का नियमित रूप से संचालन कर रहे हैं। अतः स्थानांतरण निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रकरण के परीक्षण अनुसार श्री केदारनाथ कैवर्त सहायक शिक्षक एलबी के स्थानांतरण से शा.प्रा.शा. रामभांठा लबेद वि.खं. करतला जिला कोरबा एकल शिक्षकीय हो रहा है। अतः स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-3 की उपकण्डिका 3.1 के तहत श्री केदारनाथ कैवर्त सहायक शिक्षक एलबी का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं होने के कारण अभ्यावेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव

विभागीय समन्वय समिति


अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269

प्रतिलिपि:-

1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ श्री केदारनाथ कैवर्त सहा.शिक्षक एलबी शा.प्रा.शा. रामभांठा लबेद वि.खं. करतला जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।


उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022/268(24) अटल नगर, दिनांक 02/11/2022
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा श्रीमती प्रतिमा अग्निहोत्री सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. सलोरा क, वि.खं. कटघोरा से शा.प्रा.शा. झोरा, वि.खं. कटघोरा किया गया है। संबंधित ने स्वास्थ्यगत समस्या होने एवं संस्था में आने-जाने में परेशानी होने के कारण से स्थानांतरण पर रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदनुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया स्वास्थ्यगत समस्या होने एवं संस्था में आने-जाने में परेशानी होने के कारण स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखे हैं, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं हैं, उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

श्रीमती प्रतिमा अग्निहोत्री सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।
(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ श्रीमती प्रतिमा अग्निहोत्री सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. सलोरा क, वि.खं. कटघोरा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. 127/2022 268(A) अटल नगर, दिनांक 02/11/2022
24(A)
// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा अजाज अहमद रिजवी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. कटघोरा बेसिक से शा.प्रा.शा. सिरबिदा, वि.खं. कटघोरा किया गया है। संबंधित द्वारा स्वयं के उर्दु शिक्षक होने के कारण केवल उर्दु विषयक के स्कूल में ही पदस्थापना का मांग किया है तथा स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया अजाज अहमद रिजवी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति
अटल नगर, दिनांक 02/11/2022

पृ.क्र./स्था.3/न्या.प्र. 127/2022/269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ अजाज अहमद रिजवी सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. कटघोरा बेसिक जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

24(A)

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष क्रमांक-0771-2331385, फ़ैक्स क्रमांक-0771-2445215, ई-मेल- (cg.dpi.dir@gmail.com))

क्रमांक / स्था.3 / स्थानां.अभ्या. / 27/2022 / 26865 अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

// आदेश //

कलेक्टर कोरबा के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 503 दिनांक 10.09.2022 के द्वारा सियाराम बर्मन सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण शा.प्रा.शा. कांटाद्वारी से शा.प्रा.शा. कुटुरुवां, वि.खं. कोरबा किया गया है। संबंधित द्वारा स्वयं के अतिशेष नहीं होने एवं पति-पत्नि आधार पर स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है। स्थानांतरण नीति 2022 के बिन्दु क्रमांक-7 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। अभ्यावेदन में स्थानांतरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका-7 के अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त संचालक व उच्च स्तर के अधिकारी की गठित विभागीय समिति द्वारा अभ्यावेदन का परीक्षण स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के प्रकाश में किया जाएगा। अभ्यावेदन के निराकरण के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। तदानुसार शासन द्वारा स्थानांतरण निरस्त/संशोधन किये जा सकेंगे।

संबंधित के अभ्यावेदन पर विचार किया गया संबंधित द्वारा स्वयं के अतिशेष नहीं होने एवं पति-पत्नि आधार पर स्थानांतरण में रोक लगाने हेतु लिखा है, जो कि स्थानांतरण नीति के अनुरूप नहीं है तथा उक्त कारणों से स्थानांतरण निरस्त किया जाना संभव नहीं है।

सियाराम बर्मन सहायक शिक्षक एल.बी. का स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के अनुरूप किया गया है। अतः अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(समिति द्वारा आदेशित)

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति

अटल नगर, दिनांक 02/12/2022

पृ.क्र. / स्था.3 / न्या.प्र. / 27/2022 / 269
प्रतिलिपि:-

- 1/ कलेक्टर, जिला कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3/ सियाराम बर्मन सहायक शिक्षक एल.बी. शा.प्रा.शा. कांटाद्वारी जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

उप संचालक एवं सदस्य सचिव
विभागीय समन्वय समिति